(6)
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**—The crucial date of determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 10th Standard pass or equivalent (ii) One year experience as a Topaz preferably on a fishing vessel.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Chairman (ii) Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Member (iii) Senior Instructor (Marine Engineering), Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Member (iv) Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Member	Not applicable.

[F. No. 3-19/2009-Fy (Admn).]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मत्स्य, बंदरगाह निवेशपूर्व सर्वेक्षण उप निदेशक (अर्थशास्त्री) भर्ती नियम, 2003, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (आर्थिक अन्वेषक) भर्ती नियम, 2005, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (सी आई सी ई एफ), सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री) भर्ती नियम, 2006 और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती में मत्स्य ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (सी आई सी ई एफ), बंगलुरू में उप निदेशक (अर्थशास्त्री), सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री), ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक और आर्थिक अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं ; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान उप निदेशक (अर्थशास्त्री), सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री), ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक और आर्थिक अन्वेषक भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप-निदेशक (अर्थशास्त्री)	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क'), राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी के सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री । (ii) किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या स्वशासी या कानूनी संगठन में कृषि में प्राथमिक उद्योगों के क्षेत्र में सर्वेक्षण संचालित करने या परियोजना मूल्यांकन करने का पांच वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1**- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**.—अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणो के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 5400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता और विहित अनुभव है । **टिप्पण 1**.—वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री) जिन्होंने उस

(11)

श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है पर भी प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 2.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4.—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (प्रशा.), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य (iii) मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य (iv) निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री)	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क'), राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री । (ii) किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या स्वशासी या कानूनी संगठन में कृषि में प्राथमिक उद्योगों के क्षेत्र में सर्वेक्षण अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :**—किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या स्वशासी या कानूनी संगठन में अधिमानत: मूल्यांकन पर रिपोर्ट बनाने का दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2.**—अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(10)

संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता और विहित अनुभव है ।

टिप्पण 1.—वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 2600 रु. में ऐसे विभागीय ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 2.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4.—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (i) संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (प्रशा.), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य (iii) मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य (iv) निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री । (ii) किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी स्वशासी या कानूनी संगठन में संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और आर्थिक निर्वचन या सांख्यिकीय आंकड़े के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)

वांछनीय :—किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या स्वशासी या कानूनी संगठन में आर्थिक साध्यता संबंधी अध्ययन और परियोजना आंकने के क्षेत्र में अधिमानतः दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2.—अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(10)

संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता और विहित अनुभव है ।

टिप्पण 1.—वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे विभागीय आर्थिक अन्वेषक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 2.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन

(11)
वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी । **टिप्पण 4.**—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरू —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य 3. उप निदेशक (अर्थशास्त्री) या सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरू —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. आर्थिक अन्वेषक	1* (2012) ***कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।**	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र या सांख्यिकी सहित वाणिज्य में बैचलर डिग्री । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री । (ii) किसी सरकारी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या स्वशासी या कानूनी संगठन में संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और आर्थिक निर्वचन या सांख्यिकीय आंकडे के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** :-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरू —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन,डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य 3. उप निदेशक (अर्थशास्त्री) या सहायक निदेशक (अर्थशास्त्री) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरू —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 4-5/2010-मा. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 2012

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Pre-investment Survey for Fishing Harbours [Deputy Director (Economist)] Recruitment Rules, 2003, the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF) (Economic Insvestigator) Recruitment Rules, 2005, the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF) Assistant Director (Economist) Recruitment Rules, 2006 and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Senior Economic Insvestigator Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Economist), Assistant Director (Economist), Senior Economic Insvestigator and Economic Insvestigator in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF), Bengaluru, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Deputy Director (Economist), Assistant Director (Economist), Senior Economic Insvestigator and Economic Insvestigator Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Director (Economist)	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay of ₹ 6600	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's degree in Economics with Statistics or Master's degree in Commerce with Statistics of a recognized University. (ii) Five years' experience in conducting survey and project evaluation in the field of primary industries in agriculture in a Government department or recognized institute or university or autonomous or statutory organization. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	One year for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By composite method : Deputation (including short-term contract) plus promotion failing which by direct recruitment.	**Deputation (including short-term contract) plus Promotion :** Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognized Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations :— (a) (i) holding analogus post on regular basis in the parent cadre or Department: or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay ₹ 5400 in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1** : The Departmental Assistant Director (Economist) in the Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay ₹ 5400 with five years' regular service in the garde shall also be considered alongwith deputationist and in case he or she is selected for appointment to the post shall be deemed to have been filled by promotion.

(11)
Note 2 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Chairman 2. Joint Secretary (Admn.), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 4. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Economist)	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600—39100 with Grade Pay of ₹ 5400	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date

(6)
for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's degree in Economics with Statistics or Master's degree in Commerce with Statistics of a recognized University. (ii) Three years' experience in survey research in the field of primary industries in agriculture preferably in a Government department or recognized institute or university or autonomous or statutory organization. **Desirable :** Two years' experience in drafting reports on evaluation preferably in a Government department or recognized institute or university or autonomous or statutory organization. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	One year for direct recruits and promotees

(10)	(11)
By composite method : Deputation (including short-term contract) plus promotion failing which by direct recruitment	**Deputation (including short-term contract) plus Promotion :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or

(11)

Recognized Research Institutes or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations :—

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay ₹ 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7) :

Note 1 : The Departmental Senior Economic Insvestigator with three years' regular service in the grade in the Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay ₹ 4600 will also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled in by promotion.

Note 2 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :—		Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Chairman	
2. Joint Secretary (Admn.), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Member	
3. Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Member	
4. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Economic Investigator	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's degree in Economics with Statistics or Master's degree in Commerce with Statistics of a recognized University. (ii) Two years' experience in the field of collection, compilation, analysis and interpretation of economic and statistical data in a Government department or in a recognized institute or in a recognized university or in any autonomous or statutory organization. **Desirable :** Two years' experience preferably in a Government department or recognized institute or university or autonomous or statutory organization in the field of economic feasibility studies and project appraisal. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in	No	Two year for direct recruits

(7)
the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(10)	(11)
By composite method : Deputation (including short-term contract) plus promotion failing which by direct recruitment	**Deputation (including short-term contract) plus Promotion :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory or Universities or Recognized Research Institutes or Public sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department: or (ii) with five years' service in the garde rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7) : **Note 1** : The Departmental Economic Insvestigator in the Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay ₹ 4200 with five years' regular service in the garde shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2** : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be elibible for consideration for appointment by promotion. **Note 3** : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4** : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru —Chairman 2. Under Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Deputy Director (Economist), or Assistant Director (Economist) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up of the post.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Economic Investigator	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelor's degree in Economics with Statistics or Commerce with Statistics from a recognized university or institute. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

(7)
Desirable : (i) Master's degree in Economics with Statistics or Master's degree in Commerce with Statistics of a recognized University. (ii) Two years' experience in the field of collection, compilation, analysis and interpretation of economic and statistical data in a Government department or recognized institute or university or autonomous or statutory organization.

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru —Chairman 2. Under Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member 3. Deputy Director (Economist), or Assistant Director (Economist) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4-5/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.